[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 19/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 03.03.2020

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	**नोटिसियों का नाम एवं पता**	**कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक**	**न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम**	**नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	मै पनोली इंटर्मीडियटस (इंडिया) प्रा. लि., 105, मोहता बिल्डिंग, 4, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली-110066 मुख्य व्यवसायिक कार्यालय “सारा निवास”, 20-21, हरिनगर को-ओपेरेटिव सोसाइटी, गोत्री रोड, वडोदरा-390007 और 6 अन्य.	फ़ा सं. DRI/AZU/ GRU-26/Panoli (Int-26)/2015/ 2019 दिनांक 22.01.2020.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, अहमदाबाद. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, कांडला.	प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, कांडला.
2.	मै आनंद सिने सर्विस, सं. 3, सारंगापाणि स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017 और	फ़ा सं S/40-EPCG-398/2008/ VIIG ACC दिनांक 10.10.2019.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (निर्यात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स,

3.	श्री ए मनोहर प्रसाद, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मै आनंद सिने सर्विस, सं. 3, सारंगापाणि स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017.	फ़ा सं S.Misc.49/ 2019-EODC (ACC) दिनांक 30.12.2019, दिनांक 23.01.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-VII), न्यू कस्टम हाउस, मीनाम्बक्कम, चेन्नई.	सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई (तालिका के क्रम सं 2 से 4 के लिए)
4.		फ़ा सं S.Misc.60/ 2019-EPCG-EODC दिनांक 27.12.2019	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-IV), कस्टम हाउस, चेन्नई.	

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-10/2020]

(**पारस मल सांखला**)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्द्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-अहमदाबाद और चेन्नई को इस अनुरोध के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन प्राधिकारी को भेज दें।